निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1934 (श0)

(सं0 पटना 405) पटना, मंगलवार, 21 अगस्त 2012

पथ निर्माण विभाग

———————

अधिसूचना

3 अगस्त 2012

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–37/12–8618 (एस)—सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11.04.12 को पथ प्रमंडल, मोतिहारी अंतर्गत निम्नलिखित पथों यथा–(1) पचपकड़ी–गुरहेनवा पथ (2) ढाका–घोड़ासहन पथ (3) पुरनहिया–झरोखर पथ (4)मोतिहारी–बरनवाघाट–छौड़ादानो पथ (5) चकिया–मधुवन पथ (6) पकड़ीदयाल–सिरहा–मधुबन–मीनापुर पथ (7) सिरौना–पताही पथ (8) भंडार–भकुरैहिया पथ (9) मोतिहारी–मधुबनीघाट पथ (10) छपवा–हरसिद्धी–सेवराहाँ पथ (11) रामगढ़वा–बाईपास पथ (12) सुगौली–पिपरपाती पथ (13) माधोपुर–बहुरूपिया पथ (14) सुगौली–बाईपास पथ (15) चकिया–सत्तरघाट पथ (16) चकिया–मदुरापुर पथ (17) चकिया लिंक पथ (18) मेहसी लिंक पथ (19) शीतलपुर–पीपरखेम पथ (20) पीपरा लिंक पथ (21) मेन सर्विस पथ (22) आर्य समाज मंदिर का निरीक्षण किया गया एवं पथों में पॉट्स, एस0डी0बी0सी0 की खराब स्थिति एवं फलैंक क्षतिग्रस्त पाये जाने तथा defect liability period का कार्यान्वयन नहीं कराये जाने के लिए विभागीय पत्रांक–71/गो0, दिनांक 17.04.12 द्वारा श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी से स्प्ष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री त्रिपाठी ने अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक 20.04.12 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उक्त पथों में क्रमांक 4, 5–9 एवं 11–22 अपने से संबंधित बताते हुए अंकित किया कि उनके द्वारा संवेदक को defect liability period के अंतर्गत कार्य कराने हेतु पत्र दिया गया एवं अप्रैल 12 में defect liability period अंतर्गत उक्त कुछ पथों का कार्य कराया गया एवं बाकी पथों का कराया जा रहा है। उनके द्वारा कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरते

जाने की बात कही गयी। श्री त्रिपाठी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि सचिव के निरीक्षण के उपरांत उक्त पथों में defect liability period के तहत कार्रवाई की गई। उनसे अपेक्षित था कि वे संवेदक से मुस्तैद होकर कार्य कराते एवं संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव विभाग को भेजते, परन्तु श्री त्रिपाठी द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में कोई ठोस कार्रवाई न कर महज पत्राचार किया गया जो उनके कार्य में घोर लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है।

3. तद्आलोक में श्री त्रिपाठी से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए उन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 405-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in